



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 985]
No. 985]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 18, 2002/कार्तिक 27, 1924
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 18, 2002/KARTIKA 27, 1924

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2002

का. आ. 1211(अ).—पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की दिनांक 19 दिसम्बर, 1996 की अधिसूचना संख्या का.आ. 884(अ) में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करता है :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में उल्लिखित "पांच वर्ष ग्यारह को अर्थात् के लिए" शब्दों के स्थान पर "अगले आदेश होने तक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 17011/21/95-आइए/1 (टी)]

डा. व्ही. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—पुन अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में सं. का.आ. 884(अ), तारीख 19 दिसम्बर, 1996 के माध्यम से प्रकाशित की गई थी तथा तदुपरान्त इसे अधिसूचना सं. का.आ. 758(अ), दिनांक 5 नवम्बर, 1997, सं. का.आ. 1085(अ), दिनांक 18 दिसम्बर, 1998, सं. का.आ. 115(अ), दिनांक 17 फरवरी, 1999, सं. का.आ. 349(अ), दिनांक 18 मई, 1999, सं. का.आ. 1082(अ), दिनांक 9 नवम्बर, 1999, सं. का.आ. 475(अ), दिनांक 16 मई, 2000, सं. का.आ. 729(अ), दिनांक 2 अगस्त, 2000, सं. का.आ. 1129(अ), दिनांक 18 दिसम्बर, 2000, सं. का.आ. 535(अ), दिनांक 18 जून, 2001, सं. का.आ. 1224(अ), दिनांक 19 दिसम्बर, 2001, सं. का.आ. 301(अ), दिनांक 14 मार्च, 2002, सं. का.आ. 536(अ), दिनांक 20 मई, 2002, और सं. का.आ. 1010(अ), दिनांक 18 सितम्बर, 2002, के माध्यम से संशोधित किया गया था।
3525 GI/2002

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2002

S.O. 1211(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 3 of the Environment Protection Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of Government of India, in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 884(E) dated 19th December 1996, namely :—

In the said notification in paragraph 1, for the words "for a period of five years and eleven months" the words "till further orders" shall be substituted.

[No. 17011/21/95-IA/1(T)]

Dr. V. RAJAGOPALAN, Jr. Secy.

Foot Note :—The principal notification was published vide No. S.O. 884(E) dated the 19th December, 1996 in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary and subsequently amended vide notification No. S.O. 758(E) dated the 5th November, 1997, No. S.O. 1085(E) dated the 18th December, 1998, No. S.O. 115(E) dated the 17th February, 1999, No. S.O. 349(E) dated the 18th May 1999, No. S.O. 1082(E) dated the 9th November, 1999, No. S.O. 475(E) dated the 16th May, 2000, No. S.O. 729(E) dated the 2nd August, 2000, No. S.O. 1129(E) dated the 18th December, 2000, No. S.O. 535(E) dated the 18th June, 2001, No. S.O. 1224(E) dated the 18th December, 2001, No. S.O. 310(E) dated the 14th March, 2002, No. S.O. 536(E) dated the 20th May 2002 and No. S.O. 1010(E) dated the 18th September, 2002.